


09.05.2025 वाकिल प्रार्थी अनुपस्थित। न्यायालय समय की समाप्ति तक
पृथक समय में वाकिल व प्रार्थी को आनामे डिलनाई गई। लेकिन
वाकिल व प्रार्थी में से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। लिहाजा प्रार्थी का
वाद अदम पैरवी व अदम हालीरी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल खुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा